# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

ीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

ाजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2650/2016

GCMS NO. : 2016/00442

–:: प्रार्थीगण ::–

1. गिरधारीसिंह पुत्र रणजीतसिंह
2. गोविन्दसिंह पुत्र खींवसिंह
3. रामसिंह पुत्र केशरसिह
4. जगदीशसिंह गोदपुत्र कल्याणसिंह
5. श्यामसिंह पुत्र खींवसिंह
6. ढगलसिंह पुत्र बालूसिंह
7. किशनसिंह पुत्र बालूसिंह
8. नन्दकिशोर पुत्र बालूसिंह
9. जुगलकिशोर पुत्र बालूसिंह
10. गणपतसिंह पुत्र केशरसिंह
11. मूलसिंह पुत्र सोहनसिंह
12. शंकरसिंह पुत्र बेजूसिंह
13. रामकंवर बेवा बालूसिंह

जातियान– राजपुरोहित,
निवासीगण– आ०कालू,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राजस्थान,

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. रामदयाल पुत्र बोदूसिंह
2. हनुमानसिंह पुत्र बोदूसिंह
3. गोपालसिंह पुत्र बोदूसिंह
4. मेघराजसिंह पुत्र खींवसिंह
5. नाथूसिंह पुत्र खींवसिंह
6. श्यामसिंह पुत्र मोतीसिंह
7. हरिसिंह पुत्र मिश्रीलाल
8. राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल
9. रूपकंवर बेवा हीरालाल
10. सुगनी बेवा मिश्रीलाल
11. मोनाकंवर पुत्री बोदूसिंह
12. छोटूकंवर पुत्री बोदूसिंह

सभी जातियान– राजपुरोहित,
निवासीगण– आ०कालू, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली राज०।

13. तहसीलदार, जैतारण एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू: 04/08/2018**

**उपस्थितः–**

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

## –:: निर्णय ::–

**दिनॉकः 28/12/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश केया कि ग्राम बस्सी पटवार हल्का आ०कालू द्वितीय तहसील– जैतारण जिला– पाली ाज० की सीमा में निम्नलिखित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वाके हैः– ब्रसरा नम्बर 822 रकबा 02–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 823 रकबा 00–07 बीघा किस्म गै०मु० बेरा, खसरा नम्[illegible] रकबा 13–11 बीघा केरम बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 90[illegible] रकबा 07–[illegible] बी[illegible] किस्म बारानी अव्वल, ब्रसरा नम्बर 908 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी अ[illegible] खसरा नम्बर 1050 रकबा 13–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1056 रकबा 25–02 बी[illegible] केरम बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1087 रकबा 1[illegible]4 बीघा किस्म बार[illegible] अव्वल, खसरा नम्बर 1089 रकबा 07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 089/1572 रकबा 08–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 07–04 रकबा 02–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 11 कुल रकबा 112–02

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बीघा। राजस्व ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय तहसील- जैतारण सीमा में निम्नलिखित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वाके हैः- खसरा नम्बर 733 रकबा 04-08 बीघा, खसरा नम्बर 736 रकबा 04-01 बीघा, खसरा नम्बर 738 रकबा 04-15 बीघा किस्म, खसरा नम्बर 743 रकबा 08-09 बीघा, खसरा नम्बर 758 रकबा 03-18 बीघा, खसरा नम्बर 764 रकबा 13-02 बीघा, खसरा नम्बर 766 रकबा 04-13 बीघा, खसरा नम्बर 770 रकबा 03-18 बीघा, खसरा नम्बर 776 रकबा 34-07 बीघा, खसरा नम्बर 765 रकबा 10-11 बीघा, खसरा नम्बर 771 रकबा 14-03 बीघा, राजस्व ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा में ही अन्य कृषि भूमि निम्नालिखित भूमि निम्नलिखित खसरा नम्बर व रकबा की वाके हैः- खसरा नम्बर 819 रकबा 00-07 बीघा बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 820 रकबा 16-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल उपरोक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 साथ पेश हैं, जो इस वादपत्र का एक भाग समझा जावें। उपरोक्त खसरा नम्बरान् व रकबा की कृषि भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की है, पक्षकारान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, पक्षकारान् अपने-अपने हिस्सेनुसार मौके पर उक्त कृषि भूमि में काबिज होकर काश्त करते हैं। हाल ही में बरसान होने पर सायलान अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि में खड़ाई बुवाई करनें गये तो गैरसायलालन ने सायलान के कब्जे-काश्त की कृषि भूमि में खड़ाई व बुवाई करनें से मना किया और कहा कि इस बार जो कृषि भूमि तुम्हारे कब्जे काश्त की है उसमे हम काश्त करेगे, तुम्हे नहीं करने देगे, गैरसायलान् को के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में इस प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। गैरसायलान् अगर सायलान् के कब्जे-काश्त व जायज हक अधिकार मे दखल कर रहे है, गैरसायलान् का यह कृत्य सायलान् के हक अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में कानून की निगाह मे नाजायज दखल है, इसलिये सायलान् की और से सायलान के कब्जे काश्त की सुरक्षार्थ गैरसायलान् के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु वादपत्र एवं यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् की सेवा मे सादर पेश है। गैरसायलान् शक्ति व बल के आधार से सायलान के जायज खातेदारी हक-हंकुको व कब्जे-काश्त की कृषि भूमि में नाजाजय तौर से दखल करते है, अगर गैरसायलान् ने सायलान् की कब्जे-काश्त की कृषि भमि में उपरोक्त अनुसार दखलजारी रखा जाता है तो सायलान् को असीम हानि होगी तथा खातेदारी अधिकार हमेशा के लिये प्रभावित होगे, सायलान्, खातेदार होने से व मौके पर कब्जा काश्त होने से सायलान् का बखूबी प्रथम दृष्टया केस साबित है, सायलान् खातेदार है व मौके पर क[illegible] गैरसायलान् नाजायज तौर से दखल कर रहे है, इसलिये गैर[illegible] सायलान् को असीम हानि होना निश्चित है और सुविधा का सन्तुलन भी सा[illegible] के पक्ष मे है। इसलिये सायलान् की और से गैरसायलान् के खिलाफ स्थाई निषे[illegible] की दादरसी के लिये वादपत्र एवं यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि सायलान् व गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे-काश्त की है, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, परन्तु पक्षकारान् मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपने-अपने हिस्सेनुसार सहुलियतसे काबिज है व काश्त करते है, गैरसायलान् उक्त संयुक्त कब्जे-काश्त व बिना बंटवाड़ा की कृषि भूमि का बैचान किसी अन्य अजनबी को करने पर आमादा है, इस प्रकार के बंटवाडे के बगैर यदि गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि का बैचान या अन्य हस्तातंरण कर दिया तो अजनबी व्यक्ति नाजायज तरीके से सायलान् के कब्जा-काश्त व खातेदारी अधिकारो में हस्तक्षेप करेगा, गैरसायलान् आये दिन ऐलानिया धमकीया देते है कि हम उक्त उक्त कृषि भूमि को भू-माफियो को हस्तातरण कर देगे, जो तुम्हे तंग परेशान करेगे एवं तुम्हारे हक अधिकारों की कृषि भूमि में दखलअंदाजी करेगे, इसलिये प्रतिवादीण के ऐसे कृत्य के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र सादर पेश है। गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि को अजनबी व्यक्ति को वैचान करने पर आमादा है, यदि गैरसायलान् अपने ऐसे नाजायज कृ में सफल हो जाते हैं तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि गैरसायलान् ने कौनसा हिस्सा बैचान किया है तथा अजनबी केता भी ऐसे बैचान के आधार से अवैध तरीको से उक्त कृषि भूमि के अच्छे से अच्छे हिस्से पर काबिज ह जायेगा और सायलान् के कब्जे-काश्त एवं खातेदारी अधिकारों मे हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसीडींग्स बढेगी, इसलिये ऐसे बैचान हस्तातरण के खिलाफ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। सायलान् द्वारा गैरसायलान् को उनके कृत्यो बाबतू बहुत समझाया परन्तु गैरसायलान् अपनी जि अड़े हुए है और उक्त कृषि भूमि को जबरन भू माफियो अजनबी व्यक्तियो को बैचान हस्तातंरण करने पर आमादा है, ऐसे संयुक्त भूमि का कयकर्ता बंटवाडे कराये बिना आराजी मे प्रवेश नही कर सकता और यदि प्रवेश कर भी लिया हो तो उसका स्वतत्व व अधिकार नही होता है एवं न्यायालय उसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर सकती है, जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा भू-भाग बैचा है, ऐसे मे यह भी संभव हो सकता है कि क्रयकर्ता अच्छी से अच्छी भूमि का जो हिस्सा हो उस पर काबिज हो जावे और उसे अपने खरीद का हिस्सा बताये, इसलिये धारा 44 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त सम्पति मे कोई भी अजनबी व्यक्ति किसी सहस्वामी का कोई हिस्सा कय करता है तो उसे उस हिस्से का बंटवाडा कराकर ही आराजी पर काबिज हो सकता है। ऐसी उक्त अविभाजित आराजी जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी एक हिस्से को बेच दिये जाने के पश्चात् भी उस हिस्से के अजनबी खरीददार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसलिये इन सभी परिस्थितियों में गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि मे अपना हक व हिस्सा अलग कराकर ही बैचान हस्तान्तरण का अधिकार रखता है, इसलिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरुद्ध सादर पेश है। उक्त कृषि भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि [illegible] सायलान् को यह कतई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि ऐसी [illegible] काश्त की कृषि भूमि के किसी निश्चित भू-भाग को बेचान हस्तान्तरण कर [illegible] इन सभी तथ्यों का जानते हुए भी उक्त भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है, इसलिये गैरसायलान् के उक्त अवैध कृत्यों के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रथम दृष्टिया मामला सायलान् के पक्ष में है क्योंक प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार है तथा मौके पर कब्जा-काश्त है, सुविधा का सन्तुलन भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान के पक्ष में है, क्योकि गैरसायलान् को उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि के किसी निश्चित भू–भाग को बैचान हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान् अपने गैरकानूनी कृत्यो मे सफल हो जाते हैं तो अपूर्णीय क्षति निश्चित रुप से सायलान को होगी, क्योंकि अजनबी केता अच्छी से अच्छी जमीन पर नाजायज तरीको से काबिज हो जायेगा एवं सयलान् के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी करेगा, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसीडींग्स बढेगी एवं पेचीदगीया पैदा. होगी। इसलिए इन तमाम परिस्थितियों में सायलान् को न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर सविनय प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक, दो, तीन मे वर्णित संयुक्त सामलाती अविभाजित खसरा नम्बरान, एवं रकबा की कृषि भूमि में से सायलान् के हक–हिस्से एवं बंट की भूमि मे सायलान् काश्त व काश्त से सम्बन्धित तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमें गैरसायलान उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार नौकर चाकर हाली एजेन्ट वारिसान आदि किसी प्रकार से दखल–अन्दाजी, रोक–टोक, बाधा, अडचन, रूकावट, व्यवधान पैदा नही करे एवं उपरोक्त कृषि भूमि का जब तक कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक गैरसायलान् को उक्त कृषि भूमि के किसी भी भू भाग का बै हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने से भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जावें। प्रार्थना पत्र की रूह से अन्य कोई इस्तदुआ सायलान के पक्ष मे हो अतः खारिज फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 5, 9, 11 व 12 सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4, 6 से 8 व 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण 1 से 4, 6 से 8 व 10 को जवाबप्रार्थना पत्र पेश करनें के अनेकानेक एवं समुचित अवसर देने के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करनें से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदुवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः–

***1. प्रथम दृष्ट्या मामला :–*** पत्रावली के अवलोकन से [illegible] वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है। तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:30:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के सम्बध में जब तक सहखातेदारान् के हक हिस्सों का कानूनन विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस सहखातेदार का कौनसा भू भाग है। ऐसी दशा में हस्तगत वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टयां मामला स्थापित नहीं होता है।

***2. सुविधा का संतुलन :-*** चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

***3. अपूर्णनीय क्षति :-*** चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थीगण यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## *-: आदेश :-*

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी (जैतारण)
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)